वाणिज्य--अ.ज. - 280

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(वाणिज्य शाखा)

कं–अ.वि.वि.नि.लि / मु. अ. (वा.) / अ.अ.(वा.) / फा. / 2007 / प्रे 4538 दिनांक 1/3/2007

आदेश

विषयः– ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों को जनवरी व फरवरी, 2007 के बिजली के बिलों की राशि के भुगतान में छूट।

गत दिनों हुई ओलावृष्टि से राज्य के अनेक गांवों में फसल नष्ट हो गई थी। राज्य सरकार द्वारा ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों को दी जाने वाली सहायता एवं अकाल राहत की गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः–

1. ओलावृष्टि से प्रभावित लघु एवं सीमान्त काश्तकारों की जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराब हुई है, उनसे माह जनवरी एवं फरवरी, 2007 के विद्युत बिलों की राशि वसूल नहीं करनी हैं।
2. इसके अतिरिक्त जिन काश्तकारों ने उक्त माहों के विद्युत बिलो की राशि जमा करवा दी है, उस राशि को आगामी बिलों में समायोजित कर दी जाए।
3. बिलों में दी गई छूट का पुनर्भरण, राज्य सरकार के आपदा प्रबन्ध एवं सहायता विभाग द्वारा किया जायेगा।

इस विषय में सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता (पवस), जिला कलेक्टर (राहत) से सम्पर्क कर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों की ग्राम एवं उपभोक्तावार सूचना प्राप्त कर सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को उपलब्ध कराएंगें, इस सूची के आधार पर ही सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा जनवरी एवं फरवरी, 2007 के बिलों की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जाए।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात् दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर को प्रेषित की जाये। वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर इस सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेंगें, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सके।

यह आदेश निदेशक मंडल के अनुसमर्थन (Subject to ratification) की दिशा में प्रसारित किये जाते है।

आज्ञा से,

(पी.एस. जाट)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

Office of the Superintending Engineer (M&P) AVVNL AJMER
8061 7/3
TA SE

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. सचिव (ऊर्जा), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम / जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर / जोधपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्काम, झुन्झुनु ।
4. संभागीय मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्काम, अजमेर / उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, अजमेर डिस्काम, अजमेर।
6. अधीक्षण अभियन्ता (मीटर्स / प्लान / एमएम), अजमेर डिस्काम, अजमेर / उदयपुर
7. अधीक्षण अभियन्ता (परि.एवं संधारण),अजमेर डिस्काम,.......... को ....अतिरिक्त प्रतिलिपियॉं अधीनस्थ अधिकारियों को वितरण करने हेतु।
8. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्काम, अजमेर।
9. मुख्य लेखा अधिकारी, अजमेर डिस्काम, अजमेर।
10. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्काम, अजमेर।
11. अधिशाषी अभियन्ता ( ), अजमेर डिस्काम,......................
12. वरिष्ठ लेखा अधिकारी ( ), अजमेर डिस्काम,......................
13. जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर डिस्काम, अजमेर।
14. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्काम, अजमेर।

(एस.डी. आसुदानी)
अधिशाषी अभियन्ता (वाणिज्य)

Copy to the following for information and n. a. p. 2072 7-3-07
1 The Executive Engineer (MT) AVVNL, Kishangarh / Makarana / Sikar
2 The Assistant Engineer ( ), AVVNL, Ajmer / Beawar.

1 Hindi Order

TA to SE (M&P)
AVVNLtd. Ajmer

वाणिज्य–अ.ज. – 280

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(वाणिज्य शाखा)

कं–अ.वि.वि.नि.लि / मु. अ. (वा.) / अ.अ.(वा.) / फा. / 2007 / प्रे 4538 दिनांक 1/3/2007

आदेश

विषयः– ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों को जनवरी व फरवरी, 2007 के बिजली के बिलों की राशि के भुगतान में छूट।

गत दिनों हुई ओलावृष्टि से राज्य के अनेक गांवों में फसल नष्ट हो गई थी। राज्य सरकार द्वारा ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों को दी जाने वाली सहायता एवं अकाल राहत की गतिविधियों के बारे में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः–

1. ओलावृष्टि से प्रभावित लघु एवं सीमान्त काश्तकारों की जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराब हुई है, उनसे माह जनवरी एवं फरवरी, 2007 के विद्युत बिलों की राशि वसूल नहीं करनी हैं।
2. इसके अतिरिक्त जिन काश्तकारों ने उक्त माहों के विद्युत बिलों की राशि जमा करवा दी है, उस राशि को आगामी बिलों में समायोजित कर दी जाए।
3. बिलों में दी गई छूट का पुनर्भरण, राज्य सरकार के आपदा प्रबन्ध एवं सहायता विभाग द्वारा किया जायेगा।

इस विषय में सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता (पवस), जिला कलेक्टर (राहत) से सम्पर्क कर ओलावृष्टि से प्रभावित गांवों के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों की ग्राम एवं उपभोक्तावार सूचना प्राप्त कर सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को उपलब्ध कराएंगें, इस सूची के आधार पर ही सम्बन्धित सहायक अभियन्ता द्वारा जनवरी एवं फरवरी, 2007 के बिलों की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जाए।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात् दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर को प्रेषित की जाये। वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर इस सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेंगें, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुनर्भरण प्राप्त किया जा सके।

यह आदेश निदेशक मंडल के अनुसमर्थन (Subject to ratification) की दिशा में प्रसारित किये जाते है।

आज्ञा से,

(पी.एस. जाट)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

5864 ... the Superintending Engineer (M&P) AVVNL AJMER
7/3 Tech
TA SE

प्रतिलिपी ~~निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक~~ कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. सचिव (ऊर्जा), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम / जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर / जोधपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्काम, झुन्झुनु ।
4. संभागीय मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्काम, अजमेर / उदयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, अजमेर डिस्काम, अजमेर।
6. अधीक्षण अभियन्ता (मीटर्स / प्लान / एमएम), अजमेर डिस्काम, अजमेर / उदयपुर
7. अधीक्षण अभियन्ता (परि.एवं संधारण),अजमेर डिस्काम,.......... को ....अतिरिक्त प्रतिलिपियॉ अधीनस्थ अधिकारियों को वितरण करने हेतु।
8. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्काम, अजमेर।
9. मुख्य लेखा अधिकारी, अजमेर डिस्काम, अजमेर।
10. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्काम, अजमेर।
11. अधिशाषी अभियन्ता (   ), अजमेर डिस्काम,........................
12. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (   ), अजमेर डिस्काम,........................
13. जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर डिस्काम, अजमेर।
14. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्काम, अजमेर।

(एस.डी. आसुदानी)
अधिशाषी अभियन्ता (वाणिज्य)

Copy to the following for information and n. a. p. 2072 7-3-07

1 The Executive Engineer (MT) AVVNL, Kisan-
1 Hindi (Beer) / Makarana / Sikar
2 The Assistant Engineer (   ), AVVNL,
Ajmer / Beawar.

TA to SE (M&P)
AVVNLtd. Ajmer